



महानगर लखनऊ-226006

फोन : 0522-2337452

फैक्स नं०: 0522-2337453

सीयूजी : 9454400167

Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश

पत्रांक:पीएसी-1-152(2)-2024/276

दिनांक: सितम्बर १०, 2024

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ०प्र० के पत्र संख्या:दस-395/2022(अधियाचन) दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-तीन-5(01)/2024 दिनांक 16.08.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2024 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 500 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह सितम्बर 2024 की 30 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी०आर० को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	327	040750590	प्रवेश कुमार	करन सिंह	45वीं अलीगढ़	2024
2	335	040480363	निश्चल सिंह	श्री सियाराम सिंह	सम्भल	2024
3	336	040510297	धर्मेन्द्र कुमार	सभाजीत राम	12वीं फतेहपुर	2024
4	337	040540346	दिवाकर सिंह	जसपाल सिंह	23वीं मुरादाबाद	2024
5	339	040440183	रामा यादव	रामहित यादव	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
6	340	040500616	अरुण कुमार	सरदार सिंह	पीटीएस जालौन	2024
7	342	040440125	दिनेश कुमार	श्री रामकिशोर	39वीं मीरजापुर	2024
8	343	040480376	भानू सिंह	श्री अनूप सिंह	09वीं मुरादाबाद	2024
9	345	040580438	गहेश चन्द्र जोशी	नित्यानन्द जोशी	08वीं बरेली	2024
10	347	040500397	श्रीप्रकाश यादव	नरसिंह यादव	11वीं सीतापुर	2024
11	348	040580210	पंकज द्विवेदी	शारदा प्रसाद द्विवेदी	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
12	349	040440271	उगेश	इन्द्रजीत	संतकबीरनगर	2024

13	352	041860120	कृष्णानंद	लाल चन्द राम	49वी गौतबुद्धनगर	2024
14	354	040770420	निसार खॉ	चॉद मौहम्मद	एटा	2024
15	355	040440327	योगेन्द्र यादव	राम लखन यादव	35वीं लखनऊ	2024
16	357	040750532	संजय सिंह	वीरेन्द्र सिंह	बुलन्दशहर	2024
17	358	040710189	अनुरुद्ध कुमार	रमेश चन्द्र	32वी लखनऊ	2024
18	360	040710075	विनीत कुमार	कृष्णपाल सिंह	23वीं मुरादाबाद	2024
19	361	040710583	धर्मेन्द्र कुमार	मलोहरलाल	फिरोजाबाद	2024
20	362	040710844	पुष्पेन्द्र कुमार	श्री प्रीति पाल	बिजनौर	2024
21	366	040550060	मनोज शर्मा	श्री हरिकिशन शर्मा	मुरादाबाद	2024
22	367	040460534	मनोज कुमार	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	सहारनपुर	2024
23	368	040460361	परमेन्द्र	श्री हरलाल सिंह	मेरठ	2024
24	369	040460475	संजय यादव	श्री सुखबीर सिंह यादव	मुजफ्फरनगर	2024
25	370	040460521	कुलदीप सिंह	श्री कृष्ण पाल सिंह	सुरक्षा विभाग	2024
26	371	040460231	हारून	श्री इलियास	बुलन्दशहर	2024
27	373	040470131	विजेन्द्र कुमार	जोरावर	08वीं बरेली	2024
28	374	040540809	नरेश प्रसाद	श्री केदारी राम	रामपुर	2024
29	375	040470014	गुंजन शुक्ला	श्री उमेश चन्द्र शुक्ला	मुरादाबाद	2024
30	376	040540795	नन्दन सिंह नेगी	श्री जगत सिंह नेगी	अमरोहा	2024

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-

1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,


(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा- पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/ सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/ जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक: घोषणा-पत्र


(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/ प्रयागराज ।
- 2- समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
- 7- सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ ।
- 8- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ ।
- 9- पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ ।
- 10- पुलिस अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद ।
- 11- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर ।
- 12- पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवार्यें, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 13- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश ।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व पीएनओ)

..... पुत्र..... निवासी

थाना..... जनपद..... वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम).....

..... नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र का आरक्षी हूँ

मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/ दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली'1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/ दिनांक तथा कारण
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०.....धारा.....थाना..... जनपद..... में लम्बित है, जिसमें दिनांक को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाये।